रजिस्टर्ड ए० डी०

उल्लंघन पत्र

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियत्रक का कार्यालय माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002 ई मेल-: <u>ro.aimer@ibm.gov.in</u>



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: राज/भील/22RAJ06471

अजमेर दिनांक 6/9/2013

प्रेषित

श्री महावीर प्रसाद बुरा पुत्र श्री भवर लाल निवासी -डी-63, शास्त्री नगर

भीलवाडा-311001

विषय:

राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में स्थित आपकी लाखोला (57/2005) क्वार्ट्ज़ फेल्सपार खान 4.0079 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (खान कोड -22RAJ06471)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 31/8/2013 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खिनज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं। नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तत ब्यौरा

- 13(1) The mining operations in the leasehold area have not been carried out in accordance with the approved mining plan by state government dated 6/9/2010 to the extent given below.
 - a) As per mining chapter , it is proposed to excavate mineral by manual method of mining whereas work has been carried out by mechanized method of mining resulting in more degradation of lease area than proposed in mining plan.
 - b) As per approved mining plan, it was proposed to plants 50 saplings each year but the same has not been carried out.
- 42(1)(c) Mining engineer and geologist have not been employed as required under this rule.
- 45(5)(a) Monthly return for the mines from April 2013 have not been submitted.
- 45(5)(b) Annual return of the Mines for the year 2012-13 have not been submitted to the office of Regional Controller of Mines , Ajmer before 1st July 2013 in prescribed format

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) and 45 (7)(1) के अंतर्गत (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है। 03.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बाबुलाल गुर्जर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता, **भीलवाड़ा** को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबुलाल गुर्जर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक